

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

राजस्व परिषद अनुभाग-7(कृ0ग0)

देहरादून, दिनांक: 03 अक्टूबर, 2015

विषय: 10वीं कृषि गणना 2015-16 (फसली वर्ष 1423) के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महादेय,

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग ने अपने अर्द्धशासकीय पत्र सं0 11015/1/2014-ACU(T).Vol.III दिनांक 06 मई 2015 से वर्ष 2015-16 (फसली वर्ष 1423) को सन्दर्भ वर्ष घोषित कर पूर्व की भांति 10वीं कृषि गणना 2015-16 का कार्य आरम्भ कराये जाने का निर्णय लिया है। कृषि गणना भारत सरकार की समयबद्ध एवं महत्वपूर्ण योजना है जिसकी प्रारम्भिक तैयारियां शुरू की जानी हैं। कृषि गणना 2015-16 के आंकड़े सही एवं त्रुटि रहित हों के लिये यह आवश्यक है कि वर्ष 2015-16 के भू-अभिलेख (खसरा, खतौनी, पड़ताल आदि) अद्यावधिक कराने के लिये अभी से प्रभावकारी कदम उठाये जायें।

अतः उक्त के क्रम में कार्य की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुये अपने अधीनस्थ उप जिलाधिकारियों/तहसीलदारों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे कृषि गणना 2015-16 हेतु समस्त भू-अभिलेखों को अद्यावधिक कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(विजय कुमार ढौंडियाल)

आयुक्त एवं सचिव

संख्या: 3765 / सात-कृ0ग0-1(15) / 2015-16 / तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1- सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
- 2- सचिव, उत्तराखण्ड शासन, राजस्व विभाग, देहरादून।
- 3- उप सचिव, उत्तराखण्ड शासन, कृषि एवं विपणन अनुभाग-1, देहरादून को शासन के पत्र सं0 444 / VIP / XIII-1 / 2014-5(13)2010 दिनांक 25 मई 2015 के क्रम में प्रेषित।

आयुक्त एवं सचिव।